मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर, राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अनवान

1. गट्टू बाई पत्नि जगन्नाथ जाति लुहार उम्र 66साल निवासी पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ (राज0)
2. रामी बाई उर्फ रामु पुत्री जगन्नाथ जाति लुहार उम्र 51 साल निवासी पहूँना तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ (राज0)
3. ज्यानी बाई पुत्री जगन्नाथ जाति लुहार उम्र 48 साल निवासी पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ (राज0)
4. रतनलाल पिता जगन्नाथ जाति लुहार उम्र 37 साल निवासी गणेशपुरा पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ (राज0)

वादीगण

बनाम

1. लक्ष्मण पिता बालु जाति लुहार उम्र 70साल निवासी रूपपुरा लसाडिया कलां तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ राज0
2. कन्चन बाई पत्नि मगनीराम जाति सुवालका उम्र बालिग निवासी पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ राज0
3. तहसीलदार राशमी जिला चित्तौडगढ।

प्रतिवादीगण

--:: वाद पत्र बाबत खातेदारी अधिकार की घोषणा, दुरस्ती इन्द्राज,स्थाई निषेधाज्ञा ::--

प्रकरण संख्या :- 14/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलात कतई रुबरु श्री पीएस चौहान अधिवक्ता वादी श्री राजमल सुखवाल अधिवक्ता प्रतिवादी मिनजतिब मुदालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि मौजा पहुँना पटवार हल्का पहुँना की आराजीयात संख्या 545 मी0 रकबा 0.1942है0, आराजी संख्या 546 रकबा 0.2671 है कुल किता 2 कुल रकबा 0.4613 है0 रतनलाल पिता जगन्नाथ जाति लुहार निवासी गणेशपुरा पहुँना को 5/32 हक हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है, एवं आराजी संख्या 545 मी0,546 मे से भेरू पुत्र रामा लुहार का नाम हटाये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार जमाबंदी में अंकित किया जावें। शेष अंकन बदस्तूर रहे जावे। पर्चा डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना स्वयं वहन करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2021.11.08 20:11:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, राशमी जिला चित्तौड़गढ़

(नीता वसीटा)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

Scanned by CamScanner

यह निर्णय सरे इजलास में लिखाया जाकर आज दिनांक 29.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नीता वसीटा)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयत	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			**स्टाम्प वजह सबूत**		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबतईजराय हुक्मनामा			बाबतईजराय हुक्मनामा		
मुत०			मुत०		
मिलान			मिलान		

(नीता वसीटा)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

न्यायालय सहायक कलेक्टर, राशमी
जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2021.11.08 20:11:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner